न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :— 150/2025 (124/2021 पुराना)
GCMS NO. 2025/332

1. श्योराम उर्फ हरपाल सिंह पुत्र गुगनराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. जयवीर पुत्र रामकुमार उम्र 40 साल जाति मेघवाल निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

....................प्रार्थीगण / आवेदकगण

— ब ना म —

1. रघुवीर पुत्र हनुमान उम्र 70 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. छोटे लाल पुत्र स्व० हनुमान उम्र 67 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
3. हरिसिंह पुत्र हनुमान उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
4. धापा पुत्री लालाराम उम्र 28 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
5. मीर सिंह पुत्र सहीराम उम्र 51 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
6. संजय पुत्र औमप्रकाश उम्र 25 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
7. करण सिंह पुत्र प्रसादा जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
8. कैलाश पुत्री अमीलाल पत्नी प्यारेलाल जोगी जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील मण्ड्रेला जिला झुंझुनू हाल आबाद हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० (राज0)
9. गोपीचन्द पुत्र मिश्रीलाल जाति जोगी निवासी [illegible] तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
10. नाहर सिंह पुत्र प्रसादा जाति जोगी निवासी [illegible] बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
11. पूर्णमल पुत्र मिश्री लाल जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

12. बद्रीप्रसाद पुत्र प्रसादा जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
13. भतेरी पुत्री प्रसादा पत्नी शैतान जोगी जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना हाल आबाद पिचानवा तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनू (राज0)
14. मुन्नी पुत्री प्रसादा पत्नी दीपचन्द जोगी जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना हाल आबाद पिचानवा तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनू (राज0)
15. रामनिवास पुत्र नारायणराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
16. लीलाधर पुत्र मिश्रीलाल जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
17. सुभाष पुत्र प्रसादा जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
18. सावित्री पुत्री प्रसादा पत्नी भालाराम जोगी जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना हाल आबाद ढाणी बिस्सा (नालपुर) तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज0)
19. महेन्द्र पुत्र बनवारी जाति मेघवाल निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
20. प्रदीप पुत्र मदन लाल नवीरा बनवारी उम्र 22 साल जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
21. ज्योति पुत्री मदन लाल नवीरा बनवारी पत्नी मनोज कुमार उम्र 23 साल जाति मेघवाल निवासी पालोत्ता हाल आबाद चुड़ीना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
22. पुनम पुत्री मदन लाल पत्नी सन्दीप जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद चुड़ीना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
23. नारायणी पत्नी मदन लाल जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
24. किताबों पुत्री रामनारायण पत्नी चिरंजीलाल जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
25. हरकेश पुत्र होशियार उम्र 45 साल जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
26. सन्दीप पुत्र होशियार उम्र 35 साल जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
27. तारामणी पुत्री रामप्रसाद उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
28. रघुवीर सिंह पुत्र रामप्रसाद उम्र 72 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

29. अनुप पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

30. कौशिल्या पत्नी बाबूलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिल झुंझुनू (राज0)

31. दयानन्द पुत्र केशुराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

32. रमेश पुत्र नन्दलाल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील मुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

33. पप्पु पुत्र नन्दलाल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

34. उषा पुत्री नन्दलाल जाति अहीर निवासी मानुपरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

35. प्रमीला पुत्री बाबूलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानुपरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

36. प्रियंका पुत्री राजपाल जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

37. भगवानी पत्नी केशराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

38. मधु पुत्री राजपाल जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानुपरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

39. रामसिंह पुत्र खेता जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

40. विजय सिंह पुत्र सहीराम जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानुपरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

41. शकुन्तला पुत्री खेता जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

42. शारदा पत्नी राजपाल जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

43. सत्यवीर पुत्र खेता जाति अहीर [illegible] बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

44. सतीश पुत्र राजपाल जाति अहीर [illegible] मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

45. सन्तोष पुत्री खेता जाति अहीर निवासी कलाखरी [illegible] बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनू)

46. मुनेर सिंह पुत्र सुभाषचन्द जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

47. सुशीला पुत्री बाबूलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

48. हवासिंह पुत्र सहीराम जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

49. उमराव सिंह पुत्र नन्दा जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

50. चरण सिंह पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

51. पतासी पुत्री नन्दा पत्नी सज्जन जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

52. मतेरी पुत्री नन्दा पत्नी महताब सिंह जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

53. राजेश पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

54. रोहताश पुत्र नन्दा जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

55. विमला पुत्री नन्दा पत्नी रामानन्द जाति मेघवाल निवासी पालीता वहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) हाल आबाद बापडौली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि०)

56. सुरेन्द्र पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

57. हंसकौर पुत्री रणजीत पत्नी विजय कुमार जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) हाल आबाद गोद [illegible] तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरि०)

58. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

..............अप्रार्थीगण / अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता कायमी
अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश चौधरी	अभिभाषक	प्रार्थीगण / आवेदकगण
2. श्री प्रविन्दर सिंह शेखावत		
3. श्री राजेश कुमार यादव	अभिभाषक	अप्रार्थी / अनावेदक सं. 1, 2, 3, 15, 32, 46, 49, 50, 53, 54

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.06.2025

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 05.07.2021 को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता स० 1324 के ख० न० 3459/2037 रकबा 1.00 है० का खातेदार कास्तकार आवेदक स० 1 दर्ज है तथा इस ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल ख० न0 3454/2035 रकबा 1.00है० का खातेदार कास्तकार अनावेदक स० 2 दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वाके ग्राम ठोठवाल तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता स० 120 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के ख० न0 47 रकबा 1.31 है0 खातेदार कास्तकार अनावेदक स० 1 से 6 दर्ज रिकार्ड है जिनका पिता हनुमान पुत्र प्रहलाद फौत हो गया है इसलिए इनको पक्षकार बनाया गया है।
3. यह कि वाके ग्राम ठोठवाल तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता स0 86 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल ख० न० 48 रकबा 1.55 है0 के खातेदार कास्तकार अना० स० 7 से 18 दर्ज है तथा खातेदार मूर्ती पत्नी प्रसादा फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।
4. यह कि वाके ग्राम ठोठवाल तहसील बुहाना स्थित जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के ख० न0 39 रकबा 1.10है० ख० न0 46 रकबा 1.04 है० के खातेदार कास्तकार अना० स० 19 ल० 26 दर्ज रिकार्ड है खातेदार बनवारी पुत्र चन्द्रा फौत हो चुका है तथा रामनारायण पुत्र तुला फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान अना० स० 19 से 26 है।
5. यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना सिथत भूमि जामबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता स० 948 के ख० न0 2039 रकबा 2.75 है० ख० न० 2040 रकबा 1.41है0 ख० न0 2142 रकबा 1.27 है0 के [illegible] कास्तकार अना० स० 27 व 28 दर्ज रिकार्ड है।
6. यह कि वाके ग्राम ठोठवाल तहसील बुहाना स्थित [illegible] स० 116 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल ख० न0 32 रकबा [illegible] ख० न० 33 रकबा 0.418 ख० न0 34 रकबा 0.67 है0 ख० न० 35 र[illegible] 1.57 है0 के खातेदार कास्तकार अनावेदक स० 29 ल० 48 दर्ज रिकार्ड है जिसमें खातेदार नन्दलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

पुत्र रघुनाथ फौत हो गया है उसके विधिक वारिसान अनावेदक स० 32 से 34 है इसलिए इनको पक्षकार बनाया गया हैं।

7. यह कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खाता स० 92 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के ख० न0 2033 रकबा 2.50है० ख० न0 2038 रकबा 1.41है० के खातेदार कास्तकार अप्रार्थी स० 49 से 57 दर्ज रिकार्ड है खातेदार समाकौर पत्नी रणजीत फौत हो चुकी है उसके विधिक वारिसान पक्षकार बनाये गये है।

8. यह कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि ख० न0 3457/2035 रकबा 1.00है० का खातेदार प्रार्थी सं0० 2 है तथा ख० न 3459/2037 रकबा 1.00है0 का खातेदार आवेदक स० 1 दर्ज है तथा इन्ही खसरा नम्बरान के पास में ही सरकारी स्कूल है जिसकी भूमि भी कुछ खातेदारों द्वारा दी गई है वहा स्थित है तथा आवेदकगण की भूमि ग्राम बुहाना में स्थित है तथा ग्राम बुहाना व ठोठवाल की सीमा पर स्थित है आवेदकगण की भूमि के पूर्व में ख० न0 2038, 2039, 48 है जो बुहाना की सीमा में है तथा ख० न० 35, 46, 47 जो ग्राम ठोठवाल की सीमा में स्थित है इसके पूर्व में एक आम रास्ता है जो ग्राम जयसिंहपुरा से कलाखरी को जाता है वह स्थित हैं।

9. यह कि आवेदकगण की भूमि ख० न0 3457/2035 तथा ख० न० 3459/2037 में जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं है तथा आवेदकगण की भूमि में ही सरकारी स्कूल स्थित है जिसके लिए भी कोई कटानी रास्ता नहीं है ग्राम ठोठवाल स्थित भूमि ख० न0 35, 46, 47 में से होते हुए आगे पूर्व में स्थित जयसिंहपुरा से कलाखरी को जाने वाले रास्ते में से आवेदकगण आवागमन करते आ रहे है। तथा ख० न0 35, 46, 47 की उतरी मेढ के सहारे सहारे पूर्व में स्थित रास्ता तक प्रचलित रास्ता रहा है। जहा से आवेदकगण आवागमन करते है लेकिन रास्ता कटानी ना होने की वजह से फसल कास्त करने पर उक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है जिससे आये दिन भारी नुकशान हो रहा है तथा प्रार्थीगण भूमि को कास्त नहीं कर सकते है तथा ना ही अपनी भूमि तक ट्रैक्टर गाडी लेकर जा सकते है तथा फसल तैयार होने पर बाजरा तक भी नहीं ले जाया जा सकता है तथा स्कूल के लिए भी रास्ता नहीं है जिस वजह से सकूल को भी सुविधाओं का अभाव है तथा पूर्व में ख० न0 35, 46, 47 के उत्तरी मेढ के सहारे सहारे जो मौसमी रास्ता रहा है उसी से अपनी भूमि को कास्त किया है तथा गाडी, टैक्टर ले जाते है लेकिन अब इ खातेदारों ने तारबाड करके रास्ता बन्द कर दिया है तथा आवेदकगण को अपनी भूमि को कास्त करने के लिए रास्ते की आवश्यकता है तथा आवेदकगण इस रास्ते से आवागमन करते है इसलिए आवेदक के ख० न० 35, 46, 47 की उतरी मेढ के सहारे सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है या ख० न० 35, 46, 47 की उत्तरी मेढ व ख० न0 2038, 2039 व 48 की दक्षिणी मेढ के सहारे सहारे दोनों तरफ 6–6 फुट कुल 12 फुट रास्ता दिया जाना आवश्यक है आवेदकगण ने पूर्व में भी रास्ते के लिए निवेदन किया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

10. यह कि आवेदकगण ने अपनी भूमि में मकान भी बना रखे है तथा अपनी भूमि को कास्त करते है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज ना होने से अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है आवेदकगण अपनी भूमि को समय पर कास्त नही कर

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

सकते है यदि कोई खातेदार पहले अपनी भूमि को काश्त कर लेता है तो
आवेदकगण के खेत में काश्त नहीं होती है इसलिए आवेदक ने उक्त आवेदन पत्र
पेश करना आवश्यक हुआ है।

11. यह कि आवेदकगण राज० काश्त० अधि० की धारा 251 (क) में दर्ज शर्तो की
पालना करने के लिए तैयार है। तथा रास्ते के लिए डी.एल.सी. की दुगुनी राशि
अथवा भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है।

12. यह कि आवेदकगण की भूमि ग्राम बुहाना में स्थित है जो ग्राम बुहाना में व ठोठवाल
के काकड़ पर स्थित है तथा दोनों गाँवों की सीमा पर होने से ग्राम ठोठवाल स्थित
भूमि ख० न0 35, 46, 47 की उत्तरी सीमा तथा ख० न० 95, 71 स्थित भूमि व
ख० न0 2038, 2039, 48 की दक्षिणी सीमा से रास्ता कायम किया जाना आवश्यक
है जबकि पूर्व में आवेदकगण ख० न0 35, 46, 47 के उत्तरी मेढ के सहारे से
प्रचलित रास्ते से आवागमन करते रहे है लेकिन अब इन खातेदारों ने अपनी भूमि
पर तारबाड करने से उक्त रास्ता बन्द हो गया है।

13. यह कि आवेदन पत्र में दर्ज भूमि ग्राम बुहाना व ठोठवाल में स्थित है जो न्यायालय
श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से उक्त आवेदन पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार
न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।

14. यह कि आवेदन पत्र 2 रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।

15. यह कि अप्रार्थी स० 58 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

16. यह कि आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा भी पेश किया है जिसको मार्क ए से
बी रास्ता दर्शाया गया है जहा से आवेदकगण रास्ता चाहते है।

17. **अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–**

(क) वाके ग्राम बुहाना में स्थित आवेदकगण की भूमि ख० न0 3457/2035 व
ख० न0 3459/2037 के लिए ग्राम बुहाना में स्थित भूमि ख० न० 2038,
2039, 48 की दक्षिणी सीमा से 6 फुट तथा ग्राम ठोठवाल स्थित भूमि ख०
न० 35, 46, 47 की उतरी सीमा में से 6 फुट कुल दोनों तरफ 12 फुट
चौड़ा रास्ता पूर्व में स्थित जयसिंहपुरा से कलाखरी को जाने वाले रास्ते
तक राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाकर अमल दरामद किया जावे।
अथवा ख० न० 35, 46, 47 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पश्चिम से पूर्व
में स्थित कटानी रास्ते तक 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम करते हुए राजस्व
रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

18. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामील जारी
की गई। अप्रार्थी संख्या 4 से 14, 16 से 31, 33 से 45, 48, 51, 52, 55 से
57 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एक पक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई गई।

19. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 15, 32, 46, 49, 50, 53, 54 की ओर से दिनांक 24.01.
2022 को इस आशय का जवाब पेश हुआ कि :–

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

20. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 1 गलत होने से स्वीकार नहीं है। ख.न. 3454/2035 भूमि ही नही है अविभाजित ख.न. 2035 एवं 2037 गूगनराम की खातेदारी की थी जो उसके वारीसान को उत्तराधिकार में मिली है।

21. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 2 में गांव ठोठवाल की भूमि की खातेदारी व ख.न. स्वीकार है लेकिन गांव ठोठवाल दूसरा गांव है आवेदकगण राजस्व गांव बुहाना की सीमा में रहना अपने आपको बताते है।

22. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 3 में भूमि का विवरण व उसकी खातेदारी स्वीकार है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

23. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 4 में भूमि का वर्णन एवं उसकी खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज होना स्वीकार है।

24. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 5 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि ख.न. 2039 एवं 2040 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे मुकदमा नम्बर 73/2017 रामस्वरूप वगै. बनाम रघुवीर वगै. के मुकदमे में धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रास्ता दे दिया गया है जो मौके पर मौजूद है एवं प्रचलित है इसलिए अब दोबारा नया रास्ता उसी भूमि मे से नही दिया जा सकता है।

25. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 6 में भूमि का विवरण एवं खातेदारी स्वीकार है।

26. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. हे भूमि का विवरण एवं खातेदारी स्वीकार है।

27. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 8 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नही है भूमि ख.न. 3457/2035 एवं ख.न. 3459/2037 दोनों ही अविभाजित ख. न. 2035, ख.न. 2037 से बने है अविभाजित ख.न. 2041, ख.न. 2035, ख.न. 2037, ख.न. 2034, ख.न. 2036 एक ही खातेदार गूगनराम की भूमि रही है तथा आवेदकगण उक्त गुगनराम के ही वारीसान है जिन्होने सभी ने मिलकर आवेदन पत्र मु.नं. 73/2017 बउनवानी रामस्वरूप वगै. बनाम रघुवीर वगै. न्यायालय श्रीमानजी में पेश किया जिसमें इस आवेदन पत्र का आवेदक सं. 1 मुकदमा नं. 73/2017 में आवेदक सं. 2 है तथा इस प्रकरण का आवेदक सं. 2 मुकदमा नं. 73/2017 में आवेदक सं. 58 जिन्होने मिलकर मुकदमा नं. 73/2017 किया है जिसमें उन्होने अपनी भूमि ख.न. 2035, ख.न. 2036 ख.न. 2037, ख.न. 2041 को संयुक्त रूप से कास्त करना बताया है अर्थात विभाजन के बाद भी संयुक्त रूप से कारत करना बताया है एवं ख.न. 2039 एवं 2040 की उत्तरी सीमा में से अपनी भूमि में आने जाने का सुखाधिकार बताकर आवेदन किया है जिसमे अनावेदक सं. 28 जो मुकदमा नं. 73/2017 मे अनावेदक सं. 1 है उसने अपनी भूमि मे से रास्ता भी दे दिया है जो मौके पर मौजूद है इसलिये अब वहीं आवेदकगण पुनः ख.न. 2038, ख.न. 2039, ख.न. 2040 मे [illegible] भूमि ख.न. 35, 46, 47 मे से दूसरा रास्ता की मांग नहीं कर सकते [illegible] उन्हे दूसरा रास्ता दिया जा सकता है। मु.नं. 73/2017 मे [illegible] वाले रास्ता से ही ख.न. 2039 व 2040 मे से [illegible] जो रास्ता दे दिया गया है इसलिये अब पुनः नया रास्ता नही दिया जा सकता है।

28. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 9 गलत है स्वीकार नही है आवेदकगण कभी ख.न. 3439/2037 के लिये रास्ता मांगा है जो भूमि ही नही है कभी ख.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

3454/2035 के लिये रास्ता मांगा है वह भूमि ही नही ऐसी स्थिति में अस्पष्ट अभिवचनों के आधार पर रास्ता नही दिया जा सकता है। आवेदकगण को ख.न. 2039 व 2040 की उत्तरी सीमार पर से रास्ता दिया जा चुका है जो मौके पर मौजूद है जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नये रास्ता की मांग नही की जा सकती है ख.न. 3457/2035 व ख.न. 3459/2035 दोनों एक दूसरे से सटकर है ख.न. 3460/2041 तक रास्ता मौके पर मौजूद है ख.न. 3459/2037 से उत्तर में ख.न. 3460/2041 के मध्य केवल ख.न. 3458/2037 ही मौजूद है ख.न. 2041 व 2037 एवं 2035 अविभाजित थे तो अकेले गूगन की खातेदारी मे थे उसकी मृत्यु के बाद आवेकगण एवं उसके परिवार के लोगों ने नाम है तथा मुकदमा नं. 73/2017 मे स्वयं आवेदकगण ने अपनी भूमि ख.न. 3460/2041 ख.न. 3458/2037, ख.न. 3459/2037, ख.न. 3457/2035 को संयुक्त रूप से कास्त करना बताया है जब ख.न. 2040 मे से जाने वाला रास्ता ख.न. 3460/2041 (पटवारी ने भूल से 3470/2041 दर्ज किया है) तक उपलब्ध है एवं बाकी भूमि संयुक्त रूप से कास्त है तो वहां से वे अपने खेतो मे आसानी से जा सकते है ख. न. 2039 व 2040 मे से एक रास्ता उत्तरी सीमा पर से दिया गया है जो प्रचलित है एवं राजस्व रिकार्ड मे काटने मे सहमति भी हो चुकी है। जो मौके पर भी उपलब्ध है तो अब दूसरा रास्ता उसी भूमि मे से नही दिया जा सकता है आवेदकगण ने सभी तथ्य झूठे दर्ज किये है गांव ठोठवाल दूसरा राजस्व गांव है बुहाना दूसरा राजस्व गांव है इसलिये गावं ठोठवाल की भूमि मे से नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है रास्ता ख.न. 2039 एवं 2040 गांव बुहाना की राजस्व सीमा मे से ख.न. 3460/2041 तक दिया जा चुका है तथा स्कुल के लिये रास्ता का धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में प्रावधान नही है ना ही आवासीय मकानों के लिये धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में प्रावधान है।

29. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 10 गलत होने से स्वीकार नहीं है आवेदकगण ने आवासीय मकानों के लिए रास्ता की मांग की है आवासीय मकानों के लिये रास्ते के धारा 251 क राज. कास्त. अधिनियम में कोई प्रावधान नही है जहां तक खेतो के लिये रास्ता का प्रश्न है ख.न. 2039 एवं 2040 की उत्तरी सीमा पर से रास्ता दिया जा चुका है एवं मौजूद है इसलिए जब पहले से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता नही दिया जा सकता है।

30. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 11 गलत है स्वीकार नहीं है जवाबदाता/अनावेदक सं. 28 ने अपनी भूमि ख.न. 2039 एवं 2040 की उत्तरी सीमा पर से रास्ता ख.न. 3460/2041 तक ... नं. 73/2017 के जरिऐ दे दिया है तो उसी भूमि मे से उन्ही में से किसी ... व्यक्ति को पुनः रास्ता नही दिया जा सकता है इसलिय यह आवेदन ... नहीं है। इस सम्बन्ध मे

31. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 12 ... दिया ... चुका है एक ही खेत की विस्तृत उत्तर जवाब के खण्ड नं. 9 व 10 में दिया ... भूमि मे से धारा 251 क राज. कास्त. अधिनियम के अनुसार रास्ते नही दिये जा सकते है अर्थात इसी कारण वैकल्पिक रास्ता होने पर दूसरा रास्ता नही देने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रावधान बनाया गया है इसलिये आवेदकगण का यह आवेदन पत्र खारिज योग्य है।

32. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 13 गलत होने से स्वीकार नही है गांव बुहाना की राजस्व सीमा के लिये गांव ठोठवाल की सीमा मे से रास्ता नही दिया जा सकता है जब गांव बुहाना की सीमा मे से रास्ता पहले से है तो अब नया रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नही है।

33. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 14 गलत है स्वीकार नही है।

34. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 15 गलत होने से स्वीकार नही है।

35. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 16 गलत है स्वीकार नही है।

36. **अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि** :– आवेदकगण का आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करें।

37. तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना से उनके पत्रांक भू.अ./2022/417 दिनांक 21.02.2022 से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। उक्त मौका जांच रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण का दिनांक 08.07.2022 को आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश होने पर उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र व मौका जांच रिपोर्ट को मध्य नजर रखते हुये न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.09.2022 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी संख्या 1 श्योराम पुत्र गुगनराम जाति मेघवाल निवासी गुगन की ढाणी तहसील बुहाना ने प्रथम अपील माननीय अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां अपील संख्या 177/2022 बउनवानी श्योराम पुत्र गुगनराम बनाम रघुवीर पुत्र हनुमान आदि संस्थित की गई, जिसे माननीय अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.04.2025 से स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 को अपास्त कर प्रकरण न्यायालय हाजा को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया है कि उभय पक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से धारा 251 (क) के विधिक प्रावधानों की पालना में लघुतम दूरी के रास्ते की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः नये नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय हाजा के पत्रांक राजस्व/2025/328 दिनांक 19.05.2025 से तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना से मौका जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना से उनके पत्रांक भू.अ./2025/1942 दिनांक 16.06.2025 से मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भू0अ0निरीक्षक वृत सांवलोद दिनांक 30.05.2025 प्राप्त हुई जो निम्नानुसार है :–

38. आवेदक द्वारा वाके ग्राम बुहाना स्थित आवेद[illegible] भूमि खसरा नम्बर [illegible] खसरा नम्बर क्रमशः 3457/2035 व खसरा नम्बर 345[illegible]/2037 [illegible] खसरा नम्बर 2038, 3761/3457 व 3716/3459 के लिए ग्राम बुहाना [illegible] 2039, 48 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 6 फुट तथा ग्राम ठोठवाल स्थित भूमि खसरा नम्बर 35, 46, 47 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 6 फुट कुल दोनों तरफ 12 फुट चौड़ा रास्ता चाहा गया है तथा दुसरा ग्राम ठोठवाल के खसरा नम्बर 35, 46, 47 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करते हुये रास्ता चाहा गया है। इन दोनों रास्तों में से जो दुसरा रास्ता चाहा गया है कि मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्ताव के संलग्न है।

39. आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता प्रथम जो ग्राम बुहाना के खसरा नम्बर 2038, 2039 व 48 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे व ग्राम ठोठवाल के खसरा नम्बर 35, 46, 47 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे दोनों तरफ बनने वाले रास्ते हेतु बुहाना व ठोठवाल दोनों पटवार मण्डलों की संयुक्त टीम से तैयार किया जाना संभव है। परन्तु आवेदक द्वारा चाहा गया द्वितीय रास्ता जो ग्राम ठोठवाल के खसरा नम्बर 35, 46, 47 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे चाहा गया है। वह रास्ता ग्राम ठोठवाल स्थित खसरा नम्बरों में व मौका स्थिति के सबसे सुलभ व नजदीक है। प्रस्तावित रास्ते के चारों तरफ के खसरा नम्बरो को नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया है। नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में संलग्न है।

40. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से मार्ग के मामलों में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होता है। क्योंकि ग्राम ठोठवाल के राजस्व रिकार्ड नक्शा सीट व मौका स्थिति के उक्त प्रस्तावित रास्ता सबसे सुलभ व नजदीक है।

41. प्रस्तावित रास्ता 04 मीटर चौड़ा होगा तथा प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दु संख्या A गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 51 से शुरू होकर आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 3716/3459 बिन्दु संख्या B तक उक्त रास्ते को सीमांकित/दर्शित नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया। उक्त रास्ता मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड के सबसे निकटतम व लघुतम है। दर्शित नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

42. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 51 गैर मुमकीन रास्ता बिन्दु संख्या A से शुरू होकर खसरा नम्बर 47 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 04 मीटर चौड़ा, खसरा नम्बर 46 की उत्तरी सीमा के सहारे 04 मीटर चौड़ा व खसरा नम्बर 35 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 04 मीटर चौड़ा होते हुये बुहाना स्थित आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 3716/3459 बिन्दु संख्या B तक पहुंचता है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 47 रकबा 1.31 हेक्टेयर में लम्बाई 119 मीटर व चौड़ाई 04 मीटर कुल क्षेत्रफल 476 वर्ग मीटर बनता है जो राजस्व रिकार्ड में हनुमान पुत्र प्रहलाद जाति अहीर (यावद) निवासी कलाखरी के नाम दर्ज है। पुछताछ करने पर पाया गया कि उक्त व्यक्ति हनुमान पुत्र प्रहलाद फौत हो चुका है व खसरा नम्बर 46 रकबा 1.04 हेक्टेयर में लम्बाई में 104 मीटर व चौड़ाई 04 मीटर कुल क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर बनता है जो राजस्व रिकार्ड में बनवारी पुत्र चन्दरा [illegible] तुला जाति मेघवाल निवासी पालोता के नाम दर्ज है। पुछताछ [illegible] पाया गया कि उक्त दोनों व्यक्ति बनवारी पुत्र चन्दरा व [illegible] है तथा खसरा नम्बर 35 रकबा 1.57 हेक्टेयर [illegible] व दक्षिणी सीमा की औसत (रास्ते की उत्तरी व दक्षिणी सीमा) 76 मीटर [illegible] चौड़ाई 04 मीटर कुल क्षेत्रफल 304 वर्ग मीटर बनता है। उक्त तीनों खसरा नम्बरों में रास्ते का कुल क्षेत्रफल 476+416+304= 1196 वर्ग मीटर बनता है। अर्थात 0.1196 हेक्टेयर बनता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

है जिसका वर्तमान दुगुने डी.एल.सी. से कुल राशि 1,50,696/– रूपये (एक लाख पच्चास हजार छःसौ छानवे रूपये मात्र) बनता है।

43. प्रस्तावित रास्ते के लिए अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त खसरा नम्बर 35 में दो खेजड़ी (जाटी) के पेड़ का नुकसान हो रहा है। खसरा नम्बर 35 में जो प्रस्तावित रास्ता बनता है उसमें दो खेजड़ी के पेड़ आ रहे है तथा खसरा नम्बर 35 में ही प्रस्तावित रास्ते के उपर से 33 लाख भाखड़ा प्रयोजना विद्युत लाईन जा रही है।

44. प्रार्थीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत 2075–2078 खाता संख्या नया 1324, 385, 948, 92 राजस्व ग्राम बुहाना व खाता संख्या 120, 86, 85, 116 राजस्व ग्राम ठोठवाल तथा नक्शा ट्रेस सेग्रीगेशन पेश हुये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति फर्द मौका दिनांक 24.08.2020 बमुकाम ठोठवाल द्वारा राजस्व टीम व प्रार्थीगण द्वारा तैयार नजरी नक्शा पेश हुआ। इसके अतिरिक्त और अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। अप्रार्थीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में न्यायालय हाजा के राजस्व वाद संख्या 73/2017 बउनवानी रामस्वरूप आदि बनाम रघुवीर सिंह आदि के निर्णय दिनांक 25.03.2022 की प्रमाणित प्रति पेश हुई।

45. अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

46. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात्, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

47. **विचारणीय बिन्दु** :– क्या प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत पोषणीय है ?

48. धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एक खातेदार काश्तकार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहने के अधिकार प्रदत्त करती है। प्रार्थीगण भी एक खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की भूमि से रास्ते की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 251 (क) के उपबन्धों को लागू करने के लिए बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 69 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार बुहाना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2025/1942 दिनांक 16.06.2025 (संलग्न नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत सांवलोद दिनांक 30.05.2025) से यह सिद्ध होता है कि प्रार्थीगण को अपनी जोत (हॉलिंग) खसरा नम्बर 3716/3459 रकबा 0.99 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 3761/3457 रकबा 0.9[illegible] स्थित राजस्व ग्राम बुहाना में पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता [illegible] है तथा वह जोत (हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं [illegible] से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नये रास्ते के मार्ग में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव है। प्रार्थीगण के पास प्रस्तावित नवीन/नये रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी जोत खसरा नम्बर 3716/3459 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना (झुंझुनूं) (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

0.99 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 3761/3457 रकबा 0.99 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बुहाना में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 47 रकबा 1.31 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 46 रकबा 1.04 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 35 रकबा 1.57 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम ठोठवाल में से प्रस्तावित (नजरी नक्शा में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम एवं लघुतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल 1196 वर्ग मीटर बनता है।

49. प्रार्थीगण के द्वारा अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के तहत ही हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। अधिनियम की उक्त धारा एक खातेदार काश्तकार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहने दोनों ही अधिकार प्रदत्त करती है।

50. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण के हस्तगत प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के प्रावधान बखूबी लागू होने से प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये वांछित रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

51. अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना दिनांक 16.06.2025 (संलग्न नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत्त सांवलोद दिनांक 30.05.2025) के प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम बुहाना पटवार हल्का बुहाना तहसील बुहाना स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3716/3459 रकबा 0.99 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 3761/3457 रकबा 0.99 हेक्टेयर में आने जाने के लिए राजस्व ग्राम ठोठवाल पटवार हल्का सांवलोद तहसील बुहाना स्थित जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 120, 85, 116 राजस्व ग्राम ठोठवाल के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 57 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 1.57 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 46 रकबा 1.04 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 47 रकबा 1.31 हेक्टेयर में से नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत्त सांवलोद दिनांक 30.05.2025 **(प्रदर्श–"अ")** में लाल स्याही से अंकितानुसार बिन्दु संख्या A से B तक खसरा नम्बर 35, 46, 47 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 47 में चौड़ाई में 04 मीटर व लम्बाई में 119 मीटर क्षेत्रफल 476 वर्ग मीटर, भूमि खसरा नम्बर 46 में चौड़ाई में 04 मीटर व लम्बाई में 104 मीटर क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 35 में चौड़ाई में 02 मीटर व लम्बाई में 78 मीटर, चौड़ाई में 2 मीटर व लम्बाई में 74 मीटर क्षेत्रफल 304 वर्ग मीटर कुल [illegible] वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु निर्धारित की जानी है। चूंकि [illegible] आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित [illegible] 00/– रूपये (अधिकतम) की दर से रकबा 1196 वर्ग मीटर [illegible] की दुगुनी राशि 1,65,530/– रूपये (अक्षरे एक लाख पैसठ हजार पांच [illegible] तीस रूपये) प्रार्थीगण तहसीलदार बुहाना के समक्ष जमा करवायेगें। तहसीलदार बुहाना खसरा नम्बर 35, 46, 47 के खातेदार/अप्रार्थीगण को प्रतिकर की राशि 1,65,530/–रूपये प्रभावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumlah Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

क्षेत्रफल / हिस्से के अनुसार गणना कर नियमानुसार अदा करेगें। तदनुसार भूमि खसरा नम्बर 35, 46, 47 के रकबा में से रास्ते की बाबत 1196 वर्ग मीटर (0.1196 हेक्टेयर) भूमि निर्वापित कर रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेख में किस्म **"गैर मुमकीन रास्ता"** के रूप में राजकीय खाता संख्या 1 में अभिलिखित करेगें। उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। **प्रदर्श–"अ"** इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। जांच रिपोर्ट के अनुसार रास्ते के दायरे में 2 पेड़ खेजड़ी के प्रभावित होगे। अतः उक्त दोनों पेड़ो का अनुमानित मूल्य अधिकतम 11,000/– रूपये (अंकेही ग्यारह हजार रूपये) निर्धारित किया जाता है। यह राशि भी प्रार्थीगण तहसीलदार बुहाना के समक्ष जमा करवायेगें। तहसीलदार बुहाना संबंधित खातेदार/अप्रार्थीगण को 11,000/–रूपये प्रभावित क्षेत्रफल/हिस्से के अनुसार गणना कर नियमानुसार अदा करेगें। राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकीन रास्ता कायम होने के पश्चात उक्त दोनों पेड़ो को मौके से हटाकर मजमे आम में निलामी के जरिये निस्तारण कर प्राप्त राजस्व को राजकोष में जमा करवाने की तहसीलदार बुहाना को अनुमति प्रदान की जाती है।

52. निर्णय आज दिनांक **25.06.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested